तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज खेमसिंह. बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ.अपील सं0 206/2023 ( )	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08.23	अपीलार्थी खेमसिंह जोधा, निवासी ग्राम/पोस्ट शिकारपुरा, तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 27.06.23 में उसके द्वारा (1) राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के द्वारा जिला जोधपुर हेतु नवसृजित कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टरों की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 986 दिनांक 11.08.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि धारा 5(4) के तहत प्रभारी संस्थापन शाखा ने पत्रांक 5132 दिनांक 10.07.23 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख अनुभाग, कार्यालय हाजा को प्रेषित किया गया, जहां से सूचना प्राप्त नहीं हुई अतः सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से धारा 5(5) के तहत प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख शाखा कार्यालय हाजा को लोक सूचना अधिकारी मानते हुए सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित करने की इस्तदुआ की। चूंकि प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख शाखा, कार्यालय हाजा द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख शाखा (लोक सूचना अधिकारी) कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने का कारण अवगत करवाया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	